जहाँ टूटा था विश्वास, वहाँ मध्यस्थता ने जोड़ी आस

विवाद से विश्वास तक की सफल यात्रा

इंदौर के अशोका कालोनी स्थित सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र में एक भावनात्मक और जटिल पारिवारिक प्रकरण प्रस्तुत हुआ। एक महिला, जिनके पति का असामयिक निधन हो चुका था, अपने दो छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थीं। पति की मृत्यु के बाद वह ससुराल में रह रही थीं, परंतु संपत्ति और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मतभेद उत्पन्न हो गए। स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हुए उन्होंने सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र की शरण ली।

केंद्र की मध्यस्थता टीम ने दोनों पक्षों से समुदाय के सदस्य के रूप में संवेदनशील और निष्पक्ष संवाद स्थापित किया। चर्चा के दौरान यह सामने आया कि वृद्ध ससुर गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी परिवार पर थी। परिस्थितियों और भावनात्मक तनाव के कारण परिवार में गलतफहमियाँ बढ़ गई थीं।

सामुदायिक मध्यस्थता की प्रक्रिया में दोनों पक्षों को खुलकर अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। धैर्य, समझाइश और पारस्परिक सम्मान के वातावरण में समाधान का मार्ग निकला। यह सहमति बनी कि दिवंगत पति की संचित राशि महिला को प्रदान की जाएगी। बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी दादा-दादी निभाएँगे और उनके बालिग होने पर पिता के हिस्से की संपत्ति उन्हें दी जाएगी। इस संबंध में विधिवत नोटराइज अनुबंध भी किया गया।

आज बच्चे अपने दादा-दादी के संरक्षण में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। महिला का पुनर्विवाह हो चुका है और वह सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं। बच्चों से मुलाकात की व्यवस्था भी आपसी सहमति से की गई है। जिससे परिवार के बीच सौहार्द बना हुआ है।

यह सफलता कथा दर्शाती है कि सामुदायिक मध्यस्थता केवल विवाद का समाधान नहीं करती, बल्कि टूटते रिश्तों में विश्वास और संतुलन भी स्थापित करती है। संवाद और सहानुभूति के माध्यम से जटिल परिस्थितियों को भी सकारात्मक दिशा दी जा सकती है।

हर समस्या का हल है, मध्यस्थता में बल है

शांति संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं है,
बल्कि उससे निपटने की क्षमता है
- महात्मा गांधी

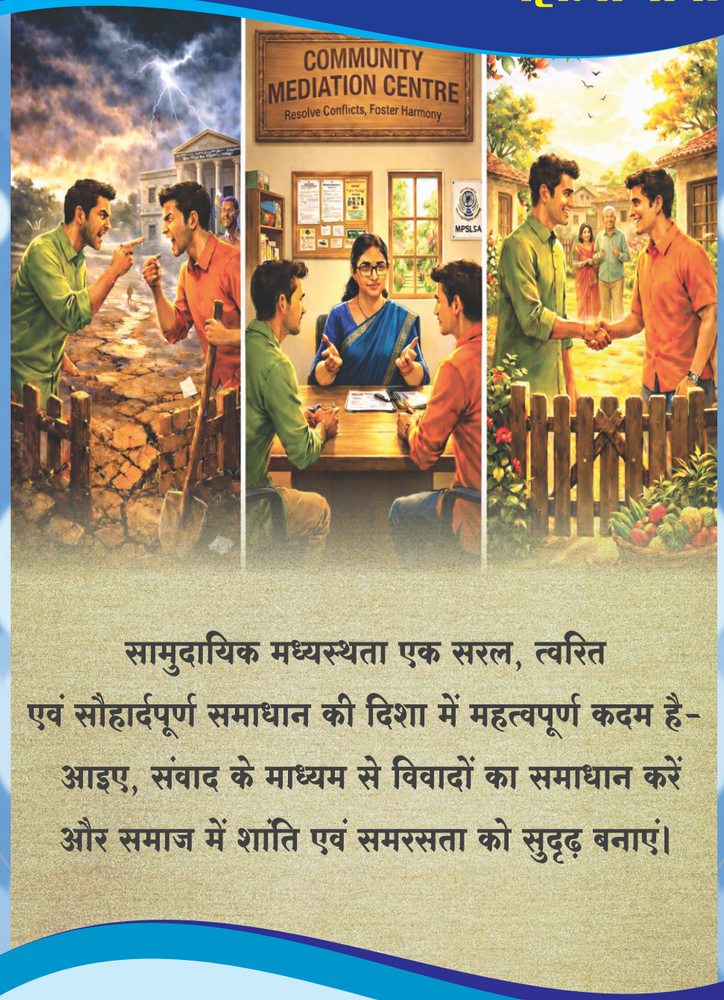

सामुदायिक मध्यस्थता एक सरल, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है- आइए, संवाद के माध्यम से विवादों का समाधान करें और समाज में शांति एवं समरसता को सुदृढ़ बनाएं।

सामुदायिक मध्यस्थता संबंधी जानकारी, आवेदन एवं मार्गदर्शन के लिए अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति से संपर्क करें। इसके अतिरिक्त, आप अपने क्षेत्र के विधिक सहायता क्लिनिक या पैरा-लीगल वालंटियर से भी संपर्क कर सकते हैं।

सामुदायिक मध्यस्थता

त्रिसंवाद से समाधान

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.)
दूरभाष : 0761 2678352, 2624131
वेबसाईट : www.madhyapradesh.nalsa.gov.in
ईमेल : mplsajab@nic.in
Toll Free : 15100

सामुदायिक मध्यस्थता क्या है ?

सामुदायिक मध्यस्थता वह प्रक्रिया है, जिसमें समुदाय के भीतर उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान आपसी संवाद, पारस्परिक समझ एवं सहमति के आधार पर, निष्पक्ष एवं प्रशिक्षित मध्यस्थों की सहायता से शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। इस प्रक्रिया में पक्षकार स्वयं समाधान खोजते हैं तथा मध्यस्थ केवल संवाद को सुगम, संतुलित एवं रचनात्मक बनाए रखने में सहायक की भूमिका निभाते है।

धारा 43, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के अंतर्गत ऐसे विवाद, जो किसी समुदाय, मोहल्ले, ग्राम या स्थानीय क्षेत्र की शांति एवं सौहार्द को प्रभावित करते हों, उन्हें न्यायालय में जाने से पूर्व सामुदायिक मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जा सकता है। इस हेतु संबंधित प्राधिकरण द्वारा निष्पक्ष व्यक्तियों का पैनल गठित किया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः स्वैच्छिक एवं पक्षकारों की सहमति पर आधारित होती है। मध्यस्थता से प्राप्त समझौता लिखित रूप में अभिलिखित किया जाता है। इस प्रकार उक्त अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान को विधिक मान्यता प्रदान करती है।

उद्देश्य

- विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाकर समाज में शांति, सौहार्द एवं समरसता बनाए रखना।
- न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के भार को कम करना।
- छोटे–छोटे विवादों को प्रारंभिक अवस्था में ही प्रभावी रूप से निपटाना, ताकि वे आगे चलकर बड़े संघर्ष का रूप न ले सकें।

सामुदायिक मध्यस्थता किन मामलों में हो सकती है–

सामुदायिक मध्यस्थता ऐसे मामलों में की जा सकती है, जो आपसी समझ, संवाद एवं सहमति के माध्यम से सुलझाए जा सकें तथा जिनसे समुदाय की शांति एवं सौहार्द प्रभावित हो रहा हो। उदाहरणार्थः–

- पड़ौसी विवाद
- पारिवारिक विवाद (गंभीर आपराधिक प्रकृति को छोड़कर)
- संपत्ति एवं लेन–देन संबंधी छोटे–छोटे विवाद
- सामाजिक/सामुदायिक मतभेद एवं तनाव
- गली, पानी, रास्ता उपयोग संबंधी विवाद
- खेत मेढ़/सीमांकन विवाद
- विद्यार्थियों के विवाद
- आपसी गलतफहमी से उत्पन्न मतभेद

सामुदायिक मध्यस्थ मध्यस्थता पैनल में किन–किन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जा सकता हैः–

- समुदाय में सम्मानित, प्रतिष्ठित एवं सत्यनिष्ठ व्यक्ति।
- ऐसा स्थानीय व्यक्ति, जिनका समाज के प्रति योगदान मान्य एवं सराहनीय रहा हो।
- क्षेत्रीय प्रतिनिधि अथवा रहवासी कल्याण संघ (Resident Welfare Association) के प्रतिनिधि।
- मध्यस्थता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति।
- कोई अन्य उपयुक्त व्यक्ति, जिसे प्राधिकरण द्वारा उचित समझा जाए।
- पैनल का गठन करते समय महिलाओं तथा अन्य वर्गों/श्रेणियों के समुचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाना अपेक्षित है, ताकि प्रक्रिया अधिक समावेशी एवं संतुलित रहे।

आप सामुदायिक मध्यस्थता क्यों चुनें?

- सामुदायिक मध्यस्थता निःशुल्क है।
- पक्षकारों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है।
- समय एवं खर्च की बचत ।
- विवाद का त्वरित समाधान ।
- आपसी संबंधों में मधुरता ।
- पक्षकारों द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाता है।
- सामुदायिक मध्यस्थता गोपनीय है, कोई सार्वजनिक रिकार्ड नहीं है।
- सहयोग और समझ पर ध्यान केन्द्रित होता है।
- पक्षकार के एक विवाद के साथ–साथ अन्य विवादों का भी समाधान ।

सामुदायिक मध्यस्थता की कार्यवाही का स्थान–

सामान्यतः सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र, जो प्रायोजित सामजिक संगठन द्वारा आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सहित स्थापित किया जाता है, में पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही संचालित की जाती है।

सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से पूर्ण रूप से निपटान न होने पर प्रक्रिया–

जहां तक संभव हो सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक निष्पादन के लिए कुछ भी छोड़े बिना विवाद को पूरी तरह से निपटाने की कोशिश करते हैं, यदि किसी विषय पर अमल की जरूरत होती है, उस स्थिति में किसी भी पक्षकार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष प्री–लिटिगेशन पिटीशन दाखिल की जा सकती है, तत्पश्चात् उसे लोक अदालत में भेजा जा सकता है और निपटान समझौते के संदर्भ में एक पंचाट (Award) पारित किया जाकर उसका निष्पादन किया जा सकता है।

सामान्यतः सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र, जो प्रायोजित सामजिक संगठन द्वारा आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सहित स्थापित किया जाता है, में पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही संचालित की जाती है।

विभिन्न सामुदायों की भागीदारी के साथ सामुदायिक मध्यस्थता के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदमः–

वर्तमान में सामुदायिक मध्यस्थता के अंतर्गत मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों 52 समुदायों के कुल 520 सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवकों को 20 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनके द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते हुए मध्यस्थता की कार्यवाही संपादित की जा रही है।

हमारा संकल्प
विवादों को संवाद से हल कर शांति पूर्ण समाज का निर्माण करना

हमारी प्रतिबद्धता
विवाद नहीं – संवाद
टकराव नहीं – विश्वास

त्रिसंवाद से रिश्ते टूटते नहीं, मजबूत होते हैं

समुदाय में ही समाधान
अदालत जाने से पहले बात करें, सुलह करें

विवाद नहीं संवाद चुनें, समाधान निश्चित है